

उपभोक्तावाद एवं अपशिष्ट निर्माण तथा उनका प्रबन्धन

सारांश

उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधा-धुंध प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इससे पर्यावरण पर विध्वंसक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए इकोलेबलिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत, जर्मनी, केनेडा, अमेरिका, स्वीडन, जापान आदि द्वारा यह पद्धति अपनायी जाती है। इससे लोगों को उत्पाद पर पर्यावरणीय प्रभाव के सन्दर्भ में शिक्षित किया जा सकता है और विनिर्माता द्वारा उत्पाद को पर्यावरण के ओर अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द : अपशिष्ट इकोलेबलिंग, हरित विपणन, पियोवियन टैक्स, औद्योगिकी पारिस्थितिकी।

प्रस्तावना

कुछ खतरनाक बीमारियों जैसे हैपेटाइटिस और एड्स के संक्रमण के खतरे के कारण लोगों को डिस्पोसेबल मेडिकल टूल्स का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिनको प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। इससे देश में अपशिष्ट के संचित होने की एक अन्य समस्या का जन्म हुआ है, यथा –

चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ (Medical Waste)

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें अस्पतालों के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान से संबंधित विनियमन दिये गये हैं। अधिसूचना जिसे बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजिंग एण्ड हैंडलिंग) नियम 1998 कहा जाता है तथा इसमें अस्पतालों के कचरे के सुरक्षित निपटान के साथ-साथ अपशिष्ट निपटान प्रौद्योगिकियों के संबंध में विनियमन दिये गये हैं।

मार्च, 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अस्पतालों को दहन भट्टियाँ लगाने अथवा वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने के लिए आदेश दिये गये ताकि चिकित्सीय कचरे को असंक्रमित किया जा सके। आदेशों के कार्यान्वयन के लिए, अस्पतालों द्वारा दाहक भट्टियों की एकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया जिसमें वर्ग और प्रकार की उपेक्षा करते हुए अस्पताल के सभी कचरे के लिए एक ही दाहक भट्टी लगाई गई। इससे बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि इसमें खतरनाक तत्व जैसे डायॉक्सिन तथा फुरान्स जो कि विषाक्त हैं, को फैलाया गया।

इसके लिए एक सरलीकृत तीन रंग की योजना प्रस्तुत की गई जिससे अपशिष्ट को पृथक् किया जा सके तथा वह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि प्रत्येक प्रकार के कचरे का निपटान किस प्रकार से किया जाएगा। पहली श्रेणी में संक्रमण को संभावना वाला कचरा रखा गया है, जैसे – मानवीय ऊतक, अंग तथा शरीर के हिस्से जिन्हें पीला रंग दिया जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसी मदे हैं जिन पर रक्त लगा रहता है जैसे पट्टियाँ आदि के लिए लाल रंग दिया गया है। तीसरी श्रेणी में प्लास्टिक तथा शीशे आदि की मद शामिल हैं। जिनमें सुइयाँ, ट्यूब तथा बोटलें आदि शामिल हैं जिन्हें नीला रंग दिया जाता है।

पहली श्रेणी की मदों का निपटान दाहक भट्टी अथवा गहराई में दफन करके किया जाना चाहिए। दूसरी श्रेणी की मदों का निपटान आटोक्लेविंग (उच्च दाब स्टेरलाइजेशन, जिसमें भाप का प्रयोग किया जाता है) और माइक्रोवेविंग द्वारा किया जाता है तथा तीसरी श्रेणी के मदों का निपटान केवल असंक्रमण करके किया जाता है। इससे अस्पतालों की पुरानी प्रौद्योगिकियों का विक्रय बन्द किया जा सकेगा।

उद्देश्य

1. उपभोक्तावाद एवं अपशिष्ट निर्माण का अध्ययन करना।
2. अपशिष्ट निर्माण और उनके प्रबन्धन का अध्ययन करना।



प्रकाश चन्द सोलंकी

शोध छात्र,
कला, शिक्षा एवं सामाजिक
विज्ञान संकाय,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर (राज.)

प्लास्टिक अपशिष्ट (Plastic Waste)

केन्द्रीय सरकार द्वारा रिसाइक्लिड प्लास्टिक मैनुफैक्चर एण्ड यूसेज रूल्स, 1999 जारी किये गये हैं। जिसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है –

1. नये अथवा रिसाइक्लिड प्लास्टिक से बने सभी कैंरी बैग्स की मोटाई कम से कम 20 माइक्रोन्स होनी चाहिए।
2. किसी भी विक्रेता द्वारा खाद्य वस्तुओं के भण्डारण, निपटान और पैकिंग के लिए कैंरी बैग्स अथवा रिसाइक्लिड प्लास्टिक से बने धारकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पर्यावरण और उपभोक्तावाद (Environment and consumerism)

उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधा-धुंध प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इससे पर्यावरण पर विध्वंसक प्रभाव पड़ रहा है। उक्त प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए अधोलिखित प्रयास किये गये हैं, यथा –

इकोलेबलिंग (Ecolabelling)

इस प्रकार के लेबर युक्त उत्पाद वातावरण से मित्रता की (इकोफ्रेंडली) प्रकृति को दर्शाता है। अनेक देश, जैसे— भारत, जर्मनी, अमरीका, स्वीडन, कनाडा, और जापान द्वारा यह पद्धति अपनाई जाती है। इकोलेबलिंग के पीछे निम्न उद्देश्य हैं—

1. उपभोक्ता के व्यवहार पर प्रभाव।
2. उत्पाद पर पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में लोगों को शिक्षित करना।
3. इससे विनिर्माता द्वारा उत्पाद को पर्यावरण के और अधिक अनुकूल बनाना।

ज्ञातव्य है कि इकोलेबलिंग स्कीम के समान इकोमार्क भारत सरकार द्वारा 1991 से अपनाया जा रहा है।

पियोवियन टैक्स (Pigouvion Taxes)

इसमें निर्माता को उत्पाद की कुल लागत जिसमें कच्चे माल की लागत, उत्पादन के दौरान उपयोग में लाई गई ऊर्जा, संग्रहण और रिसाइक्लिंग लागत की अदायगी करनी पड़ती है। कीमतों को कम रखने के लिए विनिर्माता द्वारा मंहगी पैकेजिंग के स्थान पर सस्ती पैकिंग पुनः प्रयोग में आने वाली सामग्रियों का प्रयोग करने पर मजबूर होना पड़ता है।

औद्योगिक पारिस्थितिकी (Industrial Ecology)

इसमें उद्योग द्वारा सह उत्पादों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उत्पाद से किसी प्रकार की क्षति न हो इसका अंतिम लक्ष्य धारणीय तथा रेस्टोरेटिव प्रणाली की स्थापना करना है।

उपभोक्ता संरक्षण निकाय (Consumer Protection Bodies)

उपभोक्ता संरक्षण निकाय हरित उपभोक्तावाद के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से भूमिका का निवाह कर रहे हैं।

हरित विपणन (Green Marketing)

इसका लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल मार्ग अपना कर पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग करते हुए उत्पादन तथा विपणन करना है। वर्ष 1980 में मैकडोनाल्ड की पर्यावरणीय लेखा परीक्षादल द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के

स्थान पर पर्यावरण अनुकूल कपबोर्ड पैकेजिंग का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया तथा इससे इस कम्पनी की छवि का जनता की नजरों में सुधार हुआ है।

प्लास्टिक से पृथ्वी का संरक्षण (Save of Earth from Plastic)

वर्ष 1960 में तैयार किये गये मानव निर्मित प्लास्टिक अब आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म है। किन्तु इसकी गुणवत्ता का टिकारूपन ही विश्व भर में पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

पॉलीथीन जो कि (अजैव विघटनकारी) पॉलीमर है, पर्यावरण की दृष्टि से गम्भीर खतरा बना हुआ है। हम में से अधिकांश लोग बेरियम, लेड तथा क्रोमियम को अनजाने में अपनी रसमलाई, दही, फलों तथा सब्जियों के साथ उपयोग करते हैं जो कि उनके साथ आते हैं। ये तत्व खाद्य श्रेणी के नहीं हैं और काफी खतरनाक होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बैग, जूते के पीवीसी सोल से तथा तेजाबी केन्स से बनाया जाता है। उनमें समाए हुए सूक्ष्म जीवाणु जहरीले होते हैं। नॉन-बायोडिग्रेबल होने के कारण वह कूड़े के ढेर में संचित हो जाते हैं तथा नदियों के ऊपर तैरते रहते हैं और फर्श पर जम जाते हैं, जिससे वह जलीय प्राणियों की ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देते हैं। इनसे सिवेज पाइप अवरोद्ध हो जाते हैं। फलतः मिथेन गैस का निकास नहीं हो पाता है जिससे अधिकांश बार विस्फोट हो जाते हैं। अनेक बार प्लास्टिक बैग पशुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। वास्तव में उनको कूड़ा बिनने वाले लोगों द्वारा एकत्रित किया जाता है, और उनका यह स्वरूप और भी अधिक जहरीला हो जाता है। प्लास्टिक मिट्टी में 300 वर्षों तक रहता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो यह इसका सबसे अधिक खतरनाक निपटान होता है, क्योंकि इससे डायोक्सिन और फूरान्स जैसे जहरीले विषाक्त उत्पाद वातावरण में फैल जाते हैं। जिससे अस्थमा आदि के पीड़ित लोगों के लिए श्वसन आदि से संबंधित समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। डायोक्सिन विषाक्त युक्त तथा प्रकृति में एन्डोक्राइन का रिसप्टन होता है डायोक्सिन पर्यावरण में काफी समय तक बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पादपों से पशुओं और अंततः मानव में चले जाते हैं।

यहाँ यह जानना काफी रूचिकर होगा कि सेन्ट्रल द्यूबर क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम् द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित जैविक रूप से नष्ट होने वाली प्लास्टिक का विकास किया गया है लेकिन ऐसे संशोधित प्लास्टिक काफी महंगा होता है।

इस प्रकार सबसे अधिक पारिस्थितिकी अनुकूल, जैविक रूप से नष्ट होने वाली विकल्प रिसाइक्लड पेपर, कपड़े के थैले, जूट, केले के धागे, पाम के पत्ते, पलमायरा पतियाँ आदि हैं। विश्व भर में अनेक संगठन जो कि प्लास्टिक के प्रयोग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं तथा उनमें से अनेक पेपर बैग्स बनाने तथा प्लास्टिक के प्रयोग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तथा उनमें से अनेक पेपर बैग्स बनाने तथा पारिस्थितियों अनुकूल प्रतिस्थापकों को तैयार करने के लिए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत में केन्द्रीय सरकार ने रिसाइक्ल्ड, प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एण्ड यूसेज रूल्स के अन्तर्गत 1999 में 20 माइक्रोन से कम मोटाई के रंगयुक्त प्लास्टिक बैंक के प्रयोग तथा विनिर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया है। दुर्भाग्य-वश, ये प्रतिबन्ध केवल कागजों पर ही रह गया है, क्योंकि प्रत्येक बैग की मोटाई की जांच करने के लिए अब संरचना पूरी तरह से अपर्याप्त है। परिणाम यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा छः माह की कड़ी सजा के प्रावधान किये जाने, उद्योगों की बिजली काट दिये जाने और पालन न किये जाने की स्थिति में प्रतिष्ठान को बन्द किये जाने जैसे प्रावधानों के हाने के बावजूद महीन प्लास्टिक बैग अभी भी परिचालन में हैं। अतः निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है –

1. रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एण्ड यूसेज रूल्स में संशोधन किया जाए।
2. उद्योगों के लिए उचित पैकेजिंग नीति तथा पैकेजिंग दिशा निर्देश जारी किये जाए।

Remarking

Vol-II * Issue- XII* May- 2016

3. पुनः खरीद विकल्प जो लागू किया जाना, जिसमें उद्योगों के लिए पी.ई.टी. बोतलों तथा पॉली बैग्स को खरीदना अनिवार्य किया जाए तथा उनका पुनः उपयोग किया जाए।
4. हालांकि प्लास्टिक उद्योग द्वारा उचित एनटीलिटर्सिंग उपाय की सिफारिश की गई है। लेकिन सम्पूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन ही इस समस्या का सर्वोत्तम विकल्प है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, वी.सी. : पर्यावरण शिक्षा, नेहा पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. कुमार, अभय : भारत में पर्यावरण नीतियां, सुरजीत कार्तिकेयन, पब्लिशर्स।
3. गोयल (डॉ.), एम.के. : पर्यावरण शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
4. उपाध्याय, आर.वी. : पर्यावरण शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
5. शर्मा, लोकेश : पर्यावरण शिक्षा और उसका शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।